न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.

पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द गुर्जर

दावा सं0 : 74/17

1:– लोभीचन्द आत्मज पेमाजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू

2:– लखमीचन्द आत्मज पेमाजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू

.... वादीगण

– बनाम –

1:– धापूबाई पत्नी स्व. गंगारामजी धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू

2:– मांगीलाल आत्मज स्व. गंगारामजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू

3:– देवीलाल आत्मज स्व. हरचन्द्रजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू

4:– भंवरीबाई पत्नी घीसालालजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू

5:– रामेश्वरलाल आत्मज दलीचन्द्रजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू

6:– बूंदी– चित्तोड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा चेची तह0 बेगू द्वारा शाखा प्रबंधक महोदय?

7:– सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 चित्तोड शाखा बेगू द्वारा शाखा प्रबंधक महोदय

8:– राजस्थान राज्य जरिये कलेक्टर सा0 चित्तौड़गढ

9:– श्रीमान तहसीलदार सा0 बेगू

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: सत्यनारायण इनाणी
अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार तहसीलदार
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 02.11.2022

दावा अ0धा0 88–188–53 राज0का0अधि0

दावा अ0धा0 88 राज0का0अधि0 का वकील श्री सत्यनारायण इनाणी द्वारा पेश किया जाकर इस प्रकार से निवेदन किया है वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है कूका जी के दो पुत्र कजोड जी धाकड एवं पेमाजी धाकड। कजोड जी धाकड लाऔलाद फौत उनकी पत्नी नंदुबाई लाऔलाद फौत हुई। पेमा जी धाकड की संतान गंगाराम, लोभचन्द(वादी सं0 1), लखमीचन्द(वादी सं0 2), शिवबाई, लालीबाई है। गंगाराम(मृत) के धापूबाई, मांगीलाल(प्रतिवादी सं0 2), कमलीबाई है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 शिवबाई, लालीबाई व कमलीबाई एक ही पूर्वज स्व0 कूका जी की संताने है। स्व0 कूकाजी के दो पुत्र कजोड जी एवं पेमा जी थे। स्व0 कजोड जी एवं उनकी पत्नी लाऔलाद फौत हुए है एव पेमा जी की एवं उनके पूर्व मृत पुत्र गंगाराम की संताने वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 शिवबाई, लालीबाई, कमलीबाई है।

स्व0 कूकाजी के समय की पुस्तेनी आराजीयात ग्राम चेची मे स्थित आराजी सं0 321, 322, 329, 336 ,358, 360, 362, 365, 370, 372 कुल कीता 10 कुल रकबा 2.9630 है0 कि

ए– उपरोक्त आराजयात के साबिक नं0 निम्न है 487, 488, 454, 500, 474, 476, 470, 475, 477 कुल कीता 10 है।

बी– खाता सं0 34942 आराजी नं0 602 रकबा 1.3840 है0 जिसके साबिक न0 336, 337, 338 है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात में स्व0 कजोड जी का 1/2 हक हिस्सा था जो उनके स्वर्गवास के पश्चात उनकी पत्नी नंदुबाई [illegible] लाऔलाद मरी, उसने पंजीकृत वसीयतनामा द्वारा दिनांक 22.12.1986 को वादी सं0 1 के [illegible] दिया जिससे उनके 1/2 हक व हिस्से का स्वामी व काबीज वादी सं0 1 हुआ एवं स्व0 [illegible] जी के 1/2 हक हिस्से के उत्तराधिकारी उनके पूर्व मृत पुत्र गंगाराम के उत्तराधिकारी [illegible] 1 व 2 एवं गंगाराम की पुत्री कमलीबाई एवं वादी सं0 1 व 2 लोभीचन्द व लखमीचन्द एवं पेमाजी की पुत्रियां शिवबाई, लालीबाई बने। शिवबाई एवं लालीबाई ने अपने हक व हिस्से का पंजीकृत परित्याग पत्र वादीगण के पक्ष में एवं कमलीबाई ने अपने हक व हिस्से का परित्याग पत्र प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 24.07.1997 को निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया जिससे शिवबाई व लालीबाई का हक हिस्सा वादीगण के रहा एवं कमलीबाई का हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 मांगीलाल के रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:51:27 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उपरोक्त विवरण अनुसार दोनों पुश्तेनी खातों की आराजी में 7/10 हक व हिस्सा वादी सं0 1 का 2/10 हक हिस्सा वादी सं0 2 का व 1/10 हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 2 का

है और इसी अनुसार पक्षकारान काबिज है किंतु मीटस एवं बाउन्डस में विभाजन न होने से विभाजन कराया जाना आवश्यक है।

यह कि ग्राम चेची की वर्तमान खाता स0 352 व 353 स्थित आराजीयात जिसका विवरण निम्न प्रकार से है जो स्व0 पेमाजी और उनके चचेरे भाई हरचन्द्रजी द्वारा शामिल में खरीदी गई जिसमें 1/2 हक हिस्सा स्व0 हरचन्द्रजी का है। आराजी सं0 603, 604, 605, 606, 607, 608 कुल कीता 6 रकबा 4.270000 है0 भूमि में 1/2 हिस्सा पेमाजी का होने से 2/5 हक हिस्सा वादी सं0 1 का 2/5 हक हिस्सा वादी सं0 2 का एवं 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का बनता है क्योंकि वादीगण की बहिने शिवबाई व लालीबाई वादीगण के हक में हकत्याग कर चुकी है एवं स्वर्गीय गंगाराम जी की पुत्री कमलाबाई प्रतिवादी सं0 2 के हक में हकत्याग कर चुकी है शेष 1/2 का हक व हिस्सा स्वर्गीय हरचन्द्रजी का होने से वर्तमान में उनके पुत्र प्रतिवादी सं0 3 देवीलाल एवं उनकी ओर से विक्रय किये गये हिस्से पर प्रतिवादी सं0 4 व 5 काबिज होने से उनका है। मौके पर पक्षकारान सहुलियत की दृष्टि से आपसी सहमति से अलग–अलग हक हिस्से पर काबिज है किंतु मीट्स एंड बाउंडस में विभाजन न होने से उपरोक्त अनुसार विभाजन कराने के अधिकारी है।

यह कि वर्णित ए व बी में अंकित आराजी स्वर्गीय कुकाजी की होकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की पुस्तैनी है उसमें 7/10 हिस्सा वादी सं0 1 का 2/10 हिस्सा वादी सं0 2 का एवं 1/10 हक हिस्सा स्वर्गीय गंगारामजी के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 व 2 का है। वर्णित बी में कीता 6 की आराजी में 2/5 हिस्सा वादी सं0 1 का 2/5 वादी सं0 2 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का एवं बकाया 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3,4 व 5 का है इसी के अनुसार रिकार्ड में अंकन कराने के अधिकारी है।

यह कि आराजीयात का विभाजन होने के पश्चात मौके पर कोई विवाद न हो इस दृष्टि से प्रतिवादी सं0 1 से 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादीगण की प्रार्थना है:–

1. पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि वादपत्र की चरण सं0 3 में वर्णित ए व बी विवरण की है, उनमें 7/10 हक व हिस्सा वादी सं0 1 का 2/10 हक व हिस्सा वादी सं0 2 का एवं 1/10 हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 1, 2 का एवं वादपत्र की च0सं0 6 में वर्णित 6 किता आराजीयात जो स्वर्गीय पेमाजी एवं हरचन्द्रजी द्वारा खरीदशुदा है, उसमें 2/5 हिस्सा वादी सं0 1 लोभीचन्द्र का 2/5 हिस्सा वादी सं0 2 लखमीचन्द्र का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1, 2 का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3, 4 व 5 का घोषित फरमाया जावे।
2. यह कि सभी आराजीयात का मिट्स एंउ बाउण्डस में विभाजन कराया जाकर उपरोक्त हक व हिस्से अनुसार अलग–अलग कब्जा कराया जावे एवं रिकार्ड में भी खाता व लगान का अलग अंकन फरमाया जावे एवं जो आराजीयात जिसके कब्जे में पहले से सहमति के आधार पर है, यथासंभव उसी के हिस्से रखी जावे।
3. प्रतिवादी सं0 1 से 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंध फरमाया जावें कि वे आराजीयात का मिट्स एंड बाउण्डस में विभाजन हो जाने पश्चात वादीगण के हिस्से में आई हुई आराजीयात में वादीगण के कब्जें व काश्त में कोई दस्तन्दाजी व हस्तक्षेप न करे और न किसी अन्य से करावे।
4. खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
5. अन्य सहायता जो [illegible] और न्यायालय उचित समझे दिलवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:51:27 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से लगायात 8 तक सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण सं0 1 से लगायात 8 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 9 व 10 की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण में तनकी कायम नहीं की जाने पर पत्रावली में शहादतवादी में वादी लोभीचन्द के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश करने पर वादी लोभीचन्द के बयान कलमबद्ध किये जाने के साथ दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से 4 है। नन्दु बाई का पंजीकृत प्रदर्श 5 है जिस पर एक्स स्थान पर सभी नन्दुबाई के अंगुठे की निशानी है। प्रदर्श 6 हकत्याग विलेख है जो सेउ बाई, लाली बाई और कमली बाई ने किया जो पंजीकृत है जिस पर सभी जगह पर एक्स निशानी लाली बाई की वाई सेउ बाई एवं जेड निशानी कमलीबाई की है। प्रदर्श 7

413 की नकल है। प्रदर्श 14 भू प्रबन्ध मिलान खसरा है। जिसके पश्चात उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया एवं दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

प्रकरण में प्रदर्श 1 जमाबन्दी 2072 से 2075 में आराजी सं0 321, 322, 329, 336, 358, 360, 362, 365, 370, 372 कुल कीता 10 कुल रकबा 2.9630 है0 लोभीचन्द, लखमीचन्द पिता पेमा धापूबाई बेवा गंगाराम मांगीलाल पिता गंगाराम धाकड़ के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में आराजी सं0 362 कुल रकबा 1.3840 है0 लोभीचन्द, लखमीचन्द पिता पेमा धापूबाई बेवा गंगाराम मांगीलाल पिता गंगाराम धाकड के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में आराजी सं0 603, 604, 605, 606, 608 कुल रकबा 2.0160 है0 लोभीचन्द, लखमीचन्द पिता पेमा धापूबाई बेवा गंगाराम मांगीलाल पिता गंगाराम 1/2 रामेश्वरलाल पिता दलीचन्द 7/40 देवीलाल पिता हरचन्द 13/40 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में आराजी सं0 607 कुल रकबा 2.2580 है0 लोभीचन्द, लखमीचन्द पिता पेमा धापूबाई बेवा गंगाराम मांगीलाल पिता गंगाराम 1/2 देवीलाल पिता हरचन्द 13/140 भंवरीबाई पत्नी घीसालाल 11/70 देवीलाल पिता हरचन्द 13/140 रामेश्वरलाल पिता दलीचन्द 11/70 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 5 वसीयतनामा। प्रदर्श 6 हकत्याब पत्र। प्रदर्श 7 जमाबन्दी संवत 2009 से 2012। प्रदर्श 8 नकल नामान्तरण 412। प्रदर्श 9 नकल नामान्तरण 413। प्रदर्श 14 नकल भू प्रबन्ध मिलान खसरा है। पत्रावली में समस्त दस्तावेजों का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि दिनांक 22.12.1986 को नन्दुबाई बेवा कजोड जी धाकड़ द्वारा लाभचंद पिता पेमा धाकड़ को वसीयत की गयी है जो खातेदार (नन्दुबाई) के मिलान खसरा के खाते में बताई गयी है लेकिन उसके संबधित जमाबन्दी नकल प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे दस्तावेज का अभाव है।

प्रकरण में मात्र वादी लोभीचन्द के बयान कलमबद्ध है जबकि प्रदर्श 5 वसीयतनामे में दो गवाह अंकित है। प्रकरण में वसीयत के संबंधित वादी के अलावा और कोई स्वतंत्र गवाह अलग से प्रस्तुत नहीं किये है। वादी द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है जिसमें स्वतंत्र गवाह होना भी आवश्यक है।

वादी वसीयतनामे के आधार पर घोषणा कराना चाहता है वसीयतनामा नन्दुबाई बेवा कजोड धाकड़ द्वारा वादी के हक में दिनांक 22.12.1986 को किया गया था जिसके उपरांत वादी द्वारा किसी भी स्तर पर अपने नाम खाता खुलवाने की क्या कार्यवाही की गयी है, क्या वादी द्वारा उक्त पंजीकृत वसीयतनामे के लिए अपने पक्ष में नामान्तरण खुलवाने की कार्यवाही तहसीलदार बेगूँ के यहाँ प्रस्तुत की या नहीं की है, जबकि प्रावधान है कि यदि कोई दस्तावेज पंजीकृत होता है तो उसका अमल दरामद कराये जाने हेतु सम्बन्धित पटवारी को प्रति दी जाती है, ऐसा कोई विवरण पत्रावली या कोई प्रार्थना पत्र या उसकी प्रति आदि पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है, साथ ही उक्त वसीयतनामा वर्ष 1986 का है जबकि वादी द्वारा इस दावे को न्यायालय के समक्ष सन 2017 में प्रस्तुत किया है इतने वर्षो तक वादी उक्त पंजीकृत वसीयतनामे के राजस्व रेकार्ड में अंकन के लिए क्यो चुप रहे यथासमय कार्यवाही क्यो नहीं की है, जिसका अंकन वाद पत्र में नहीं किया गया है ना ही कोई इस प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया है एवं प्रकरण में प्रस्तुत वसीयतनामा 22.12.1986 का है और वादी ने यह दावा 30.08.2017 को प्रस्तुत किया है जो इतना विलम्ब से दावा प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता हुई है इसका भी वादी द्वारा प्रकरण में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। वादी का वसीयतनामे वाली आराजीयात में कब्जा है या अन्य का कब्जा है यह भी वादी द्वारा इस दावा पत्रावली में किसी गवाह या वसीयतनामे के गवाह आदि से सिद्ध नहीं कराया है। इस प्रकार वादी द्वारा अपने दावा को सिद्ध करने हेतु कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना, ना ही स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत करना, व इतने विलम्ब से वाद पत्र लाने का क्या कारण रहा है को अपने वाद पत्र में स्पष्ट नहीं किया है, से वादी का वाद पत्र हमारी विनम्र राय से स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:51:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद अ0धा0 88 188 53 राज0का0अधि0 दस्तावेज व स्वतंत्र गवाह के अभाव में दावा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 74/17

1:– लोभीचन्द आत्मज पेमाजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू
2:– लखमीचन्द आत्मज पेमाजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू

..... वादीगण

– बनाम –

1:– धापूबाई पत्नी स्व. गंगारामजी धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू
2:– मांगीलाल आत्मज स्व. गंगारामजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू
3:– देवीलाल आत्मज स्व. हरचन्द्रजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू
4:– भंवरीबाई पत्नी घीसालालजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू
5:– रामेश्वरलाल आत्मज दलीचन्द्रजी धाकड उम्र वयस्क निवासी चेची तह0 बेगू
6:– बूंदी– चित्तोड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा चेची तह0 बेगू द्वारा शाखा प्रबंधक महोदय?
7:– सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 चित्तोड शाखा बेगू द्वारा शाखा प्रबंधक महोदय
8:– राजस्थान राज्य जरिये कलेक्टर सा0 चित्तौड़गढ
9:– श्रीमान तहसीलदार सा0 बेगू

.....प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन. ईनाणी की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता ..... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–188–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 02.11.2022 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वादी का वाद अ0धा0 88 188 53 राज0का0अधि0 दस्तावेज व स्वतंत्र गवाह के अभाव में दावा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 02.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:51:27 IST
Reason: SelfAttested

पैरवी स्वीकार है

अधिकार पत्र देने वाले को स्वयं मैं पहिचानता अथवा अधिकार पत्र देने वाला/वाले वही व्यक्ति है जिसके लिए मैंने विश्वास कर लिया है।